उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्याः 2569 /XVII(4)/2011/230/11TC
देहरादून, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2011 के नियम–7 (1) के तहत उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं देय भत्तों तथा सेवा शर्ते निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

1. आयोग के अध्यक्ष का वेतन राज्य सरकार के मुख्य सचिव के वेतन के समतुल्य वेतन होगा एवं प्रत्येक अन्य सदस्य का वेतन राज्य सरकार के सचिव के वेतन के समतुल्य होगा। परन्तु जहां अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य सेवानिवृत्ति सरकारी सेवक हो या अर्द्ध सरकारी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या मान्यता प्राप्त शोध संस्थान का सेवानिवृत्ति सेवक हो वहॉ उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या उपान्तिक लाभो के पेंशनरी मूल्य या दोनों सहित भुगतेय वेतन लिए गए अंतिम वेतन से अधिक नही होगा।

2. यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में हो तो उसका वेतन उनके लिए लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

3. महंगाई भत्ता– अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य राज्य सरकार की समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों के लिए अनुमन्य दरों पर अपने वेतन के अनुसार महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।

4. आयोग के अध्यक्ष के लिये उक्त के अतिरिक्त गोपन विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 26/1/XXI/2009 दिनांक 23–10–2009 एवं इसी के क्रम में गोपन विभाग के संशोधन आदेश संख्या 26/1/XXI/2009 दिनांक 1–12–2009, समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप संख्या 29–3–2010 एवं दिनांक 31–8–2010 द्वारा निर्धारित/अनुमन्य निम्नवत सुविधायें भी अनुमन्य होंगी–

(i) पदीय कर्तव्यों के निवर्हन हेतु संविदा पर ड्राईवर सहित एक स्टाफ कार परन्तु 150 लीटर प्रतिमाह की सीमा मुख्यालय की यात्रा हेतु लागू होगी। मुख्यालय से बाहर की यात्राओं हेतु वास्ताविक खर्च के आधार पर ईधन की अनुमन्यता होगी। महानुभाव को सम्बन्धित विभाग द्वारा शासकीय वाहन मय चालक सहित उपलब्ध कराया जायेगा। शासकीय वाहन उपलब्ध न होने की दशा में किराया का वाहन/टैक्सी उपलब्ध कराया जायेगा जिसका अधिकतम किराया रू0 25000/– प्रतिमाह होगा। उक्त मासिक किराये में वाहन के

साथ वाहन चालक एवं गाड़ी का अनुरक्षण सम्मिलित होगा। पी0ओ0एल0 की व्यवस्था सम्बन्धित विभाग द्वारा की जायेगी।

(ii) कार्यालय एवं आवास पर एक–एक टेलीफोन।

(iii) वैयक्तिक सहायक– एक (नियत वेतन रू0 8000.00 प्रतिमाह)

(iv) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–एक (विभाग द्वारा)

(v) पदीय दायित्वों के लिये राज्य के अन्दर रेल यात्रा करने पर उपलब्ध उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ। राज्य के अन्दर रेल यात्रा करने की सुविधा के साथ–साथ प्रदेश के बाहर की यात्रा हेतु भी रेल यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी।

(vi) पदीय दायित्वों के लिये राज्य के बाहर वायुयान द्वारा यात्रा करने पर इकोनोमी श्रेणी में एक सीट।

(vii)दैनिक भत्ता–शासन के प्रमुख सचिव के अनुरूप।

(viii)एक गनर।

(ix) राज्य सरकार के चिकित्सालायों में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार के हकदार।

(x) आवासीय सुविधा या रू0 7500/– प्रतिमाह।

(xi) पदीय कर्तव्यों के पालन हेतु प्रदेश के बाहर की शासकीय यात्रा शासन के प्रमुख सचिव के अनुरूप राज्य सरकार के प्रदेश के बाहर स्थित उत्तराखण्ड निवास एवं अन्य निरीक्षण भवनों में ठहरने की सुविधा।

5– आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की अर्हतायें, कार्यकाल व कार्य आदि उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण नियमावली, 2011 की संगत नियमों के अनुसार रहेंगे।

6– उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2011 के नियम–12 के अधीन राज्य सरकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों एवं सचिव के वेतन, भत्तों, सेवाशर्तो एवं कार्य व्यवहार के नियमों में संशोधन कर सकती है।

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्याः 2569 (1)/XVII(4)/2011/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समिति के मा0 अध्यक्ष एवं सम्बन्धित मा0 सदस्यगण।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग।
7. निदेशक, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी/कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव